फर्द अहकाम
अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर
रामअवतार **बनाम** एस.डी.एम.भुसावर
किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 13 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
13.3..24	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट रामअवतार, पता गांव पोस्ट– कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर ने आर. टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी एस.डी.एम. भुसावर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय में दिनांक 12.3.2024 को प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि :– ''.......मैंने दिनांक 15–1–2018 को एस.डी.एम. भुसावर से आर.टी.आई 2005 के तहत पैमायश रिपोर्ट ....सीमा विवाद की रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां मांगी जो मुझे आज तक उपलब्ध नहीं कराई हैं........सूचना भिजवाने की कृपा करें............ ।'' अपील में अंकित कथनों से जाहिर है कि अपीलार्थी ने एस.डी. एम. भुसावर से सूचना चाहे जाने का अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 15–1–2018 को पेश किया गया है। प्राप्त अपील में प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.01.2019 अंकित की हुई है, यह अपील (जन सुनवाई प्रकोष्ठ से) दिनांक 12.3.24 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 19 में लोक सूचना अधिकारी की विनिश्चय की सूचना से अन्दर तीस दिवस अपील पेश किये जाने का प्रावधान दिया गया है, परन्तु अपीलार्थी ने यह अपील लोक सूचना अधिकारी (एस.डी.ओ. भुसावर) के खिलाफ करीब छः साल बाद पेश की गई है, अपीलान्ट अपील के इतनी लम्बी अवधि की देरी से पेश करने का कोई कारण भी अपील में दर्ज नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला कलक्टर भरतपुर	151 15/3/24 निर्णय जारी भेजी गई